फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय निवासी Q-3 गोविन्द नगर हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 102/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अ.102/2024/7008 दिनांक 22.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 6059 दिनांक 29.10.2024 से प्रार्थी को ऑनलाईन आवेदन संख्या 244551926104073 में बिन्दु संख्या 02 की सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पृष्ठ संख्या 01 अधिप्रमाणित कर एवं बिन्दु संख्या 01 व 03 से 05 तक में जवाब अपलोड कर ऑनलाईन क्रमांक 6445103532 से सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन क्रमांक 244551926104073 के साथ जो तथ्य प्रेषित किए गए है वे आवेदन संख्या 244591005381250 से संबंधित है जिसके संबंध में प्रार्थी को ऑनलाईन आवेदन संख्या 244591005381250 में जवाब अपलोड कर सूचित किया गया है। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्रांक की प्रति जरिये ऑनलाईन क्रमांक 6445103532 से अपलोड कर सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं	

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय के पत्रांक की प्रति जरिये ऑनलाईन क्रमांक 6445103532 से अपलोड कर सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्क्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10/12/21

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)